उत्तराखण्ड नर्सिंग कौंसिल के शासी निकाय हेतु रजिस्टर्ड हेल्थ विजिटर के निर्वाचन/ चुनाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रत्याशी हेतु

1. दिनांक 27 नवंबर, 2025 से 29 नवंबर, 2025 तक प्रातः 10:00 बजे सांय 05:00 तक नांमाकन पत्र खरीदे और जमा कराए जा सकते हैं।
2. नामांकन प्रपत्र उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, के कार्यालय कक्ष संख्या–63 से निर्धारित शुल्क जो कि क्यूआर कोड (QR CODE)के माध्यम से जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।
3. नांमाकन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा (Non Refundable)।
4. प्रत्याशी का नामांकन की अन्तिम तिथि 29 नवंबर 2025 तक उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल में पंजीकरण वैद्य एवं नवीनीकृत होना अनिवार्य है।
5. प्रत्याशी के दोनों प्रस्तावक भी उपरोक्त क्रम संख्या–4 के अनुसार उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल का पंजीकरण वैद्य एवं नवीनीकृत हो।
6. प्रत्याशी एवं प्रस्तावकों के उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल में पंजीकरण वैद्य एवं नवीनीकृत नहीं होने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
7. निर्धारित अन्तिम तिथि 29 नवंबर 2025 सांय 05:00 के पश्चात प्राप्त होने वाले नामांकन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
8. नांमाकन हेतु निर्धारित शुल्कजी0एस0टी0 सहित रू. 2360.00 प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भी नामांकन अमान्य हो जाएगा।
9. नामांकन प्रपत्र पर निर्धारित कॉलम की सभी सूचनाएं भरकर तथा स्वयं तथा प्रस्तावकों का उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाईव्ज कौंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित सीलबन्द लिफाफे जिसके ऊपर सम्बन्धित संवर्ग जिसका चुनाव हेतु प्रत्याशी है अंकित कर कार्यालय कक्ष संख्या–63 में निर्धारित तिथि 29 नवंबर 2025 सांय 05:00 बजे तक जमा किये जाएंगे।
10. नांमाकन प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर नांमाकन पत्र निरस्त किये जा सकेंगे।

मतदाता हेतु

1. प्रत्येक मतदाता जिनके द्वारा मतदान किया जाएगा वे उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल में पंजीकृत हो तथा मतदाता के मत देने कि तिथि तक पंजीकरण वैद्य एवं नवीनीकृत हो, पंजीकरण वैद्य एवं नवीनीकरण न होने की स्थिति में मतपत्र अवैध माना जाएगा।
2. मतदाता अपने संवर्ग में एक ही प्रत्याशी को मतदान कर सकता हैं। मतदाता द्वारा एक से अधिक प्रत्याशी को मतदान करने की स्थिति में मतदाता का मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
3. अन्तिम रूप से चयनित प्रत्याशी का मतपत्र उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल की वैबसाइट पर निर्धारित तिथि 05 दिसंबर 2025 को अपलोड कर दी जाएगी।
4. मतदाता अपने संवर्गवार मतपत्र को कौंसिल की वैबसाइट से डाउनलोड कर अपने प्रत्याशी के नाम के सम्मुख कॉलम पर (✓)का निशान अंकित कर सीलबन्द लिफाफे जिसके उपर स्वास्थ्य निरीक्षिका संवर्ग मोटे अक्षरों में लिखते हुए जिसके अन्दर मतदाता अपनेस्वंय के पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित तिथि सहित छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्धारित तिथि 19 दिसंबर 2025 सांय 4:00 बजे तक कौंसिल कार्यालय के कक्ष संख्या–63 में स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराएं जाएंगे, अन्तिम तिथि 19 दिसंबर 2025 सांय 04:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले मतपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतपत्र भेजे जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अन्तिम तिथि एवं समय तक कार्यालय को आवश्य प्राप्त हो जाएं।
6. मतपत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र नर्सिंग कौंसिल कार्यालय कक्ष संख्या–63 से भी प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
7. पत्राचार हेतु कार्यालय का पूर्ण पत्ताः–

   रजिस्ट्रार/निर्वाचन अधिकारी,
   उत्तराखण्ड नर्सेज मिडवाईव्ज कौंसिल, कक्ष संख्या–63,
   स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डांडा लखौड़ सहस्त्रधारा रोड़,
   पोस्ट ऑफिस– गुजराड़ा,उत्तराखण्ड, देहरादून, पिन कोड–248013।

वैबसाइटः–https://uttarakhandnmc.org

(मनीषा ध्यानी)
रजिस्ट्रार/निर्वाचन अधिकारी